

Detailed Violation Report

दिनांक 02.04.2021 को कालूआना नहर तथा कालावाली-लक्कड़ावाली रोड़ की हलका वन रक्षक द्वारा गस्त की गई। गस्त के दौरान पाया गया कि कालूआना नहर आर0डी0 55-56 तथा कालावाली-लक्कड़ावाली सड़क के साथ गांव लक्कड़ावाली में पाईपलाईन डालकर सुरक्षित वन भूमि पर कब्जा किया हुआ है। जिसके लिए आरोपी श्री ईकबाल सिंह पुत्र श्री डिप्टी सिंह निवासी लक्कड़ावाली तह0 कालावाली जिला सिरसा द्वारा वन विभाग से कोई अन्नापति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया है। जिससे स्पष्ट है कि श्री ईकबाल सिंह पुत्र श्री डिप्टी सिंह ने पाईपलाईन डालकर भारतीय वन अधिनियम 1927 की उल्लंघना करके पाईपलाईन डालने का कार्य किया है। इस उल्लंघना के लिए श्री ईकबाल सिंह पुत्र श्री डिप्टी सिंह निवासी लक्कड़ावाली तह0 कालावाली जिला सिरसा के खिलाफ वन अपराध रिपोर्ट नं0 045/0885 दिनांक 02.04.2021 चाक करके 19100/- रुपये मुआवजा वसूल कर लिया गया है। प्रयोक्ता एजेंसी को इस रास्ते की मंजूरी हेतू एफ0सी0ए0-1980 के तहत प्रस्ताव बनाकर वन मण्डल कार्यालय, सिरसा में देने हेतू कहा गया जो कि प्रयोक्ता एजेंसी ने एफ0सी0ए0 का प्रस्ताव मंजूरी हेतू मण्डल कार्यालय में पहले ही प्रस्तुत किया हुआ है। इस केस की स्वीकृति हेतू जनहित को ध्यान में रखते हुए पैनल सी0ए0 सहित स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है।

Ram Kumar Jangra, M.F.S

Divisional Forest Officer,

SRSA



वन अपराध रिपोर्ट

वन विभाग, हरियाणा सरकार

0885

045

FOR Book No.

FOR No.

वन मण्डल	सिरसा				
रेंज/ब्लॉक/बीट	कालावाली कालावाली कालावाली				
रीच/जगह का नाम	कालुआना नहर कालावाली लम्कडावाली				
FOR No. (Date, Day & Time)	रिड. 02-4-2021 10 बजे सुबह				
रिपोर्ट जारी करने वाले का नाम	श्री सतीश सिंह				
अपराध की जानकारी का स्रोत	स्वयं द्वापरास्त/ मुखबीर द्वारा/ शिकायत				
अपराध होने के तारीख/दिन/समय	श्री महेंद्र कुमार 30/02/20				
जांच अधिकारी का नाम व पद	श्री महेंद्र कुमार 30/02/20				
अपराध/घटना का विवरण संलग्न	नहीं/यदि हां तो पृष्ठ संख्या				
उल्लंघना किया गया अधिनियम	SFA 1927 संवधान 32, 33.				
भारतीय वन अधिनियम 1927	<input checked="" type="checkbox"/>				
वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972					
पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम 1900					
भारतीय दण्ड संहिता					
अपराधी का विवरण	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता
	श्री इकबाल सिंह	श्री इकबाल सिंह	60 वर्ष	जट	लम्कडावाली कालावाली जिला सिरसा
जब्त किये गये सामान का विवरण					
जब्त वन उपज का विवरण	प्रजाति	किस्म/साइज	संख्या	मूल्य	मुआवजा राशि
जब्त वहीकल का विवरण	प्रकार	विवरण	राशि	मॉडल	उत्पादन वर्ष
		कालुआना नहर 55-56 पर पाईस लाने वाला नजारा	10	10	
औजार/ हथियार	कालुआना नहर 55-56 पर पाईस लाने वाला नजारा				
अन्य, यदि कोई हो	कालुआना नहर = 2 x 13.10 x 0.91 = 23.84 sqm कालावाली लम्कडावाली = 2 x 3.95 x 0.91 = 7.18 sqm = 2 x 3.95 x 0.91 = 7.18 sqm				
सही को चिन्हित करें	नजरी-नक्शा जी०पी०एस० रीडिंग सहित	संलग्न किया है/तैयार नहीं किया गया	यदि हां तो पृष्ठ संख्या 38.20 sqm		
	फोटोग्राफ	संलग्न/तैयार नहीं किया गया			
	विडियोग्राफी	संलग्न/तैयार नहीं किया गया			

R.O.A.C.

बीट इन्चाज Sandeep Fy

मुखबीर/ शिकायतकर्ता/गवाह के हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

इकबाल सिंह

व० रा० अ०

श्री रमण मल्हान

नाम

रैंक

इन्चार्ज

दिनांक

02-4-2021

आरोपी का हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

Ran Kumar Jangra, M.F.S

Divisional Forest Officer.

S.P.S.A

वन फार्म संख्या-1

भारतीय वन अधिनियम 7 धारा 67 के अधीन हानि मुआवजा लिए जाने
के लिए प्रार्थना पत्र 46

अपराध				अपराधी			
घटना स्थल	घटना की तिथि	घटना का समय	विवरण	नाम	पिता का नाम	जाति	निवास स्थान
नालुआना NEERD 55-56 कोलावाली लुमटावाली सेड	02/4 2021	10 बजे पुणे	नालुआना-11-10 2x3.10x0.91 = 23.84 sqm नालावाली लुमटावाली राड 2x3.95x0.91 = 7.18 sqm 2x3.95x0.91 = 7.18 sqm 38-205 sqm	इम्बाला सिंह	शैली सिंह	जाट सिख	लुमटावाली
				गिरफ्तार करने वाले का नाम श्री सापिंग सिंह			

श्रीमान् जी,

प्रार्थी ऊपर-लिखित वन अपराध स्वीकार करता है और वह स्वीकार करता है कि इसका फैसला किसी फौजदारी/न्यायालय को सुपुर्द करने की बजाये हानि का मुआवजा अदा करने के रूप में किया जाए। इसलिए यह मैं नीचे दिए गवाहों के समय स्वेच्छ से अपना यह प्रार्थना-पत्र लिख कर निवेदन करता हूँ कि उपर-लिखित अपराध होने से जो हानि हुई मैं उसके बदले मुआवजे के रूप में रु. 19100-00 और निम्नलिखित पकड़े गए माल की कीमत के रु. में कुल 19100-00 रु. अदा करना मंजूर करता हूँ। कृपया यह प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किया जाए। प्रार्थी स्वयं मुकदमें के फैसले के लिए गवाहों के समक्ष आपकी सेवा में उपस्थित है।

गिरफ्तार किए गए
माल का विवरण

लिखित

हस्ताक्षर
STEEDONE
लिखित

गवाहों को गई

गवाहों को गई

02-4-2021

दिनांक.....20.....

सूचना-रेंज अफसरकी आवश्यकतानुसार क्षति की रकम नियत करने का जिम्मेवार होगा।

Ram Kumar Jangra, M.F.S

Divisional Forest Officer,

3135A